

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] No. 72] दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2008/वैशाख 12, 1930 DELHI, FRIDAY, MAY2, 2008/VAISAKHA12, 1930 [रा.स.स.क्षे.दि. सं. 33 [N.C.T.D. No. 33

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 मई, 2008

फा. सं. 7(1)/99/रा.स्थ./स.र./पार्ट-फाईल-2/956(i).— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (1) श्रीमती गरिमा गुप्ता, भा. प्रा. से., एस.डी.ओ.(नजफगढ़) एवं (2) श्री कुणाल, भा.प्र.से., एस.डी.ओ. (नरेला) की उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शिक्तयों को जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

फा, सं 7(1)/99/रा.स्थ./सं.र./पार्ट-फाईल-2/956(ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का अधिनियम संख्या (3) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (1) श्रीमती गरिमा गुप्ता भा. प्रा. सं., एस.डी.ओ. (नजफगढ़) एवं (2) श्री कुणाल, भा.प्र.सं., एस.डी.ओ. (नरेला) को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियां जब तक वह इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

सं. 7/1/99/रा.स्थ./स.र./पार्ट-फाईल-2/956(iii).— दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्याल एतद्द्वारा (1) श्रीमती गरिमा गुप्ता, भा. प्रा. से., एस.डी.ओ.(नजफगढ़) एवं (2) श्री कुणाल, भा.प्र.से., एस.डी.ओ. (नरेला) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस समय तक कलैक्टर की सभी शिक्तयां जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।

फा. सं. 7(1)/99/रा.स्थ./स.र./पार्ट-फाईल-2/956(iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 3 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 1614 DG/2008

करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अर्त्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शिक्तयों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिए (1) श्रीमती गरिमा गुप्ता, भा. प्रा. से., एस.डी.ओ.(नजफगढ़) एवं (2) श्री कुणाल, भा.प्र.से., एस.डी.ओ.(नरेला) को उस समय तक कलैक्टर के रूप में जब तक वह इस पर पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियक्त करते हैं।

फा: सं 7(1)/99/रा, स्थ./स.रं./पार्ट-फाईल-2/956(v). — दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खण्ड 19ए के द्वारा प्रदर्श सावितयों की प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उन्नत अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कायों को निर्वाहन करने के लिए (1) श्रीमती गरिमा गुप्ता भा. प्रा. से., एस.डी.ओ.(नजफगढ़) एवं (2) श्री कुणाल, भा.प्र.से., एस.डी.ओ.(नरेला) को उस समय तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियां जब तक रूं इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशीं तक इनमें से जो भी पहले ही, प्रदान करते हैं।

फा. सं. 7(1)/99/रा.स्थ./स.र./पार्ट-फाईल-2/956(र्ग).— पूर्वी पंजाब जोत चकबंदी तथा विखंडसन रोकथाम अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धांरा 20 की छंप-धारा दिल्ली द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए (१) श्रीमती गरिमा गुप्ता भा. प्रा. से., एस.डी.ओ.(नजफगढ़) एवं (2) श्री कुणाल, भा.प्र.से., एस.डी.ओ. (नरेला) को उस समय तक ध्यस्थापन अधिकारी खंकबंदी के लिए में जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

फा. सं. 7(1)/99/रा.स्थ./स.र./पार्ट-फाईल-2/956(vii), स्टिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं. 24) की धारा 2 के खण्ड ग द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हो के लिए समक्ष प्राधिकारी का कार्य करने के लिए (1) श्रीमती गरिमा गुप्ता भा. प्रा. से., एस.डी.ओ.(नजफगढ़) एवं (2) श्री कुणाल, भा.प्र.से., एस.डी.ओ. (नरेला) को उस समय तक जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले ही, प्राधिकत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर

विनय कुमार, संयुक्त सचिव

REVENUE DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 2nd May, 2008

- F. No. 7(1)/99/Rev./Estt./SR/Pt. File-2/956/(i)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon (1) Smt. Garima Gupta, IAS, SDO (Najafgarh) and (2) Sh. Kunal, IAS, SDO (Narela), the power of Assistant Collector, 1st Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi so long as they holds the Post of till further orders whichever is earlier.
- F. No. 7(1)/99/Rev./Estt./SR/Pt. File-2/956/(ii) In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) Smt. Garima Gupta, IAS, SDO (Najafgarh) and (2) Sh. Kunal, IAS, SDO (Narela), as Assistant Collector, 1st Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon them the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they holds the Post or till further orders whichever is earlier.
- F. No. 7(1)/99/Rev./Estt./SR/Pt. File-2/956/(iii)— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints (1) Smt. Garima Gupta, IAS, SDO (Najafgarh) and (2) Sh. Kunal, IAS, SDO (Narela), as to be Assistant Collector, 1st Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon them all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they holds the Post or till further orders whichever is earlier.
- F. No. 7(1)/99/Rev./Estt./SR/Pt. Fite-2/956/(iv)—In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873 (Act No. 2 of 1873) as enforced in the National

Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) Smt. Garima Gupta, IAS, SDO (Najafgarh) and (2) Sh. Kunal, IAS, SDO (Narela), as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they holds the Post or till further orders whichever is earlier.

- 5. F. No. 7(1)/99/Rev./Estt./SR/Pt. File-2/956/(v)—In exercise of powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954(Act No.8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers (1) Smt. Garima Gupta, IAS, SDO (Najafgarh) and (2) Sh. Kunal, IAS, SDO (Narela), as Assistant Collector, 1st class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they holds the Post or till further orders whichever is earlier.
- F. No. 7(1)/99/Rev./Estt./SR/Pt. File-2/956/(vi)—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint (1) Smt. Garima Gupta, IAS, SDO (Najafgarh) and (2) Sh. Kunal, IAS, SDO (Narela), as Settlement Officer (Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, so long as they holds the Post or till further orders whichever is earlier.
- F. No. 7(1)/99/Rev./Estt./SR/Pt. File-2/956/(vii) In exercise of the powers conferred by Clause (c) of the Section 2 of the Delhi Land Holding (Celling) Act, 1960 (F.No. 24 of 1960) the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize (1) Smt. Garima Gupta, IAS, SDO (Najafgarh) and (2) Sh. Kunal, IAS, SDO (Narela), to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said act are applicable so long as they holds the Post or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi

VINAY KUMAR, Jt. Secy.

विधि. न्याय एवं विधासी विभाग अधिसूचना

ंदिल्ली. 2 मर्ड. 2008

सं फा. 14 (31)/एल.ए.-2007/एलजे/08/2958 उपरम्भपाल, दिल्ली की दिनांक 21 अप्रैल, 2008 को मिली अनुमित के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्निलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

"आई.आईआई.टी.—दिल्ती अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 2008 को यथा पारित)

(21 अप्रैल, 2008)

दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान, उद्भवन तथा विस्तार कार्य की सुविधाएं प्रदान करने तथा प्रोत्साहन देने तथा इन क्षेत्रों तथा संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा इससे संबंधित या प्रासंगिक अन्य विषयों के लिए गैर सम्बद्धनपरक तथा अध्यापन संस्थान की स्थापना हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आई.आई.टी. (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली अधिनियम, 2007 है।
 - (2) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा नियत तिथि से लागू होगा ।
 - 2. परिभाषाएं. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "सीनेट" का अर्थ है संस्थान का सीनेट, एक अकादिमक निकाय;

- (ख) "अकादिमक स्टाफ" का अर्थ है उस श्रेणी का स्टाफ जिसे सीनेट द्वारा संविधि द्वारा संस्थान का अकादिमक स्टाफ के रूप में अभिनामित किया गया है;
- (ग) "शासक मंडल" का अर्थ है संस्थान का शासक मंडल;
- (घ) "संस्थान" का अर्थ है आई.आई.आई.टी —िदल्ली, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा निगमित किया गया है;
- (ङ) "परिसर" का अर्थ है संस्थान द्वारा शिक्षा या अनुसंधान या दोनों की व्यवस्था हेतु स्थापित या गठित इकाई;
- (च) "कुलाधिपति" तथा "निदेशक" का अर्थ है क्रमश संस्थान का कुलाधिपति तथा निदेशक;
- (छ) "अध्यक्ष" का अर्थ है शासक मण्डल का अध्यक्ष ;
- (ज) "दिल्ली" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली;
- (झ) "विभाग" का अर्थ है संस्थान का अध्ययन विभाग;
- (ञ) ''कर्मचारी'' का अर्थ है संस्थान द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (ट) "सरकार" का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 239 के अर्न्तगत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं संविधान के अनुच्छेद 239क क के अन्तर्गत यथा पदनामित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल;
- (ठ) 'हॉल' का अर्थ है संस्थान के विद्यार्थियों के लिये आवास या निगमित जीवन की इकाई;
- (ड) ''उपराज्यपाल'' का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल;
- (ढ) "कदाचार" का अर्थ है संविधि द्वारा निर्धारित कदाचार;
- (त) "निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत अधीन निर्मित संविधि द्वारा निर्धारित;
- (थ) "संविधि" "अध्यादेश" तथा "विनियमों" का अर्थ है तत्समय लागू संस्थान के क्रमशः संविधि, अध्यादेश तथा विनियम; तथा
- (द) 'संस्थान शिक्षक' का अर्थ है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर तथा प्राध्यापक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें संस्थान में शिक्षा प्रदान अथवा अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया गया हो तथा संविधि द्वारा शिक्षक के रूप में पदनामित किया गया हो।
- 3. निगमन.—(1) उस तिथि से जिसे सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करें, "आई.आई.आई.टी—दिल्ली" नामक संस्थान स्थापित किया जायेगा जिसमें कुलाधिपति तथा निदेशक, शासक मंडल तथा संस्थान के सीनेट तथा तत्पश्चात् इन पदों पर नियुक्त व्यक्ति या सदस्य के रूप में जब तक ये इन पदों पर या सदस्य के रूप में पद पर रहते हैं, सिमलित होंगे ।
 - (2) उपर्युक्त नाम से संस्थान एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य सील होगी जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति को खरीदनें, रखने तथा बेचने तथा अनुबंध करने तथा उक्त नाम पर मुकद्दमा करने या किए जाने की शक्तियां होंगी।
 - (3) संस्थान वित्तीय तथा प्रशासनिक रूप से स्वायत्त होगा तथा इस प्रकार पूंजी तथा संचालन की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा जिसका अपना शासन तथा प्रशासनिक नीतियां तथा यथानिर्धारित कार्य प्रणाली होगी।
- (4) संरकार संस्थान को समुचित भू—भाग निःशुल्क उपलब्ध करेगी। यह प्रारंभिक सुविधाओं की स्थापना के लिए निधि उपलब्ध कराएगी जिसमें भूमि विकास, वास्तुशिल्पीय डिजाइन, भवन, उपकरण तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था शामिल है। ये ब्याज रहित निधि सरकार

द्वारा निश्चित समय—सीमा में लौटाने होंगे बशर्ते कि निधियों के लौटाने की अवधि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए शुरू नहीं होगी।

- (5) उपधारा (4) में कुछ भी होते हुए संस्थान किसी भी समय सरकार के पास ऋण के लिए आपस में सहमत शर्तों के अंतर्गत विस्तार तथा विकास खर्चों को पूरा करने के लिए जा सकता है।
- (6) जहां सरकार यह निर्णय लेती है कि संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाएं समाज के जरूरतमंद तथा साधनहीन वर्ग को कम दरो पर दी जानी है, उसके लिये सरकार इस सहायता राशि की पूर्ति संस्थान को करेगी।
- 4. अधिकार क्षेत्र.— इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम में कुछ भी होते हुए संस्थान जिस क्षेत्र सीमाओं में अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली होगा।
- 5. संस्थान के उद्देश्य.— संस्थान ने निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :--
- (क) दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान करने के लिए गैर सम्बद्धनपरक शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं निगमन।
- (ख) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंघान तथा परामर्श कार्य की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन देना।
- (ग) सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबंधित मामलों या प्रासंगिक विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- (घ) चुने हुए क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में उल्लेखनीय परिवर्तन करना।
- (ङ) उद्योगों को उच्च स्तरीय उत्पाद तथा सेवाएं तैयार करने की क्षमता में योगदान हेतु परिवर्तन माध्यम का कार्य करना।
- (च) सभी प्रकार से उद्योग प्रासंगिक बनना तथा भारत और विदेशों में समान शैक्षणिक समाज पर प्रभाव डालना।
- (छ) ऐसा मुक्त संस्थान जो संसार की उच्च प्रतिभाओं को आकर्षित करे तथा पूर्णतया सार्वत्रिक संघटित हो।
- संस्थान के अधिकार. —संस्थान को निम्नलिखित अधिकार होंगे, अर्थात् :--
- (1) संस्थान द्वारा समय—समय पर निश्चित शिक्षण शाखाओं में शिक्षा की व्यवस्था करना अनुसंधान तथा ज्ञान और कुशलता की प्रगति तथा विस्तार के लिए साधन तैयार करना;
- (2) संस्थान द्वारा निश्चित शर्तों के अंतर्गत डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र प्रदान करना तथा परीक्षाओं, मूल्यांकन या परीक्षा की अन्य विधियों के आधार पर उपाधियां अथवा अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें प्रदान करना;
- (3) संविधि द्वारा निर्धारित रूप से मानद उपाधियां तथा अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

- (4) परिसरेतर अध्ययन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन तथा प्रारंभ करना;
- (5) अनुबंध अध्यापन तथा अकादिमक पदीं का सृजन एवं स्थापना जिसमें प्रोफेसरिशप एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसरिशप, प्राध्यापक तथा संस्थान द्वारा अपेक्षित अन्य पद तथा इन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (6) संस्थान द्वारा अपेक्षित अनुबन्धीय प्रशासनिक लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन तथा स्थापना तथा इन पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (7) उक्त खंड (5) तथा (6) में सभी पदों के लिए वेतन ढाँचा निश्चित करना जिसमें भत्ते, भविष्य निश्चि आदि शामिल है जिससे नियामक निकायों के न्यूनतम नियमों का पूरा किया जा सके, बशर्ते कि कुल वेतन इनसे अधिक हो परन्तु किसी स्थिति में कम न हों, समस्त अकादिमक, शैक्षिक तथा अन्य कर्मचारियों के लिए अनुबंध से जुड़ी शर्ते, अविध तथा अनुबंध की कार्याविध, अपेक्षाएं, भूमिका तथा उत्तरदायित्व आदि निश्चित करना, इसके सभी कर्मचारियों के साथ राजस्व बंटवारे संबंधी पद्धित स्थापित करना;
- (8) किसी अन्य संस्थान या संगठन में क्रार्यरत व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संस्थान में अध्यापन के रूप में नियुक्त करना;
- (9) किसी अन्य विश्वविद्यालय, अधिकरण या उच्च शिक्षा संस्थात, उद्योग तथा कारपोरेट हाउस, अनुसंधान कार्यों में संलग्न प्रयोगशाला के साथ सहयोग, या सान्निध्य में संस्थान द्वारा निश्चित रूप से तथा उद्देश्यों के लिए कार्य करना;
- (10) खंड (9) में संगठनों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को शिक्षण देने या अनुसंधान के पर्यवेक्षण या दोनों के लिए व्यक्तियों का अनुमोदन तथा अनुमोदन का वापिस लेना;
- (11) अकादमिक प्रकार्यों के निष्पादन के लिए अकादमिक निकाय तैयार करना तथा निर्धारित रूप से इनको पारिश्रमिक प्रदान करना;
- (12) विद्यार्थियों से उगाही किए जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा अन्य प्रभारों को निर्धारित करना;
- (13) कम्प्यूटर केन्द्र, इन्द्र्मेंटेशन केन्द्र, पुस्तकालय आदि जैसी सुविधाओं की स्थापना करना;
- (14) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों की स्थापना करना,
- (15) संस्थान में प्रवेश के मानक सुनिश्चित करना जिसमें परीक्षाएं, मूल्यांकन या चयन की अन्य विधि शामिल है;
- (16) फेलोशिप, स्कालरशिप, छात्रवृत्तियों, मैडल को तथा पुरस्कार स्थापित करना तथा प्रदान करनाः
- (17) शुल्क तथा अन्य प्रभारों की मांग करना तथा प्राप्त करना;
- (18) संस्थान के विद्यार्थियों के आवास का पर्यवेक्षण तथा उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण हेतु व्यवस्था करना;
- (19) महिला विद्यार्थियों के लिए वे विशेष प्रबंध करना जो संस्थान वांछित समझता हो;
- (20) संस्थान के विद्यार्थियों के आचरण का नियमन;
- (21) सस्थान के कर्मचारियों के कार्य तथा आचरण का नियमन;
- (22) संस्थान के कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों में अनुशासन का नियमन तथा प्रवृत्त करना तथा इस विषय में आवश्यक समझे जाने वाले अनुशासनात्मक उपाय करना;
- (23) संस्थान के कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की व्यवस्था तथा बढ़ावा देना;
- (24) व्यक्तियों से उपकार राशि, दान या उपहार स्वीकार करना तथा संस्थान द्वारा सुनिश्चित पदों, संस्थानों, भवनों आदि के नाम रखना;
- (25) संस्थान के उद्देश्यों के लिए चल या अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति जिसमें न्यास तथा देय संपत्तियां भी शामिल हैं, की प्राप्ति, संभालना, प्रबंधन या बिक्री करना, सरकार की सहता से अधिग्रहित भूमि या निर्मित भवन के सिवाय जिस मामले में सरकार की पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगी;

- (26) सरकार के अनुमोदन से संस्थान की संपत्ति की प्रतिभूति पर संस्थान के उद्देश्यों के लिए धनराशि उधार लेना:
- (27) विषयों, विशेषज्ञता क्षेत्रों, शिक्षा के स्तरों तथा तकनीकी मानव शक्ति को प्रशिक्षण के विषय में अल्पावधि तथा दीर्घावधि आधार पर आवश्यकताओं का निर्धारण करना तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जरूरी कार्यक्रम प्रारंभ करना;
- (28) "दूरस्थ शिक्षा" तथा "मुक्त शिक्षा विधि" के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना तथा विद्यार्थियों के लिए गैर औपचारिक (मुक्त शिक्षण) से औपचारिक पद्धति तथा औपचारिक से गैर-औपचारिक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना; तथा
- (29) ऐसे सभी अन्य कार्य तथा व्यवहार करना जो संस्थान की सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक या प्रासंगिक हो या संस्थान की सभी या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक या अनुरूप हो।
- 7. संस्थान सभी वर्गों, जातियों तथा धर्मों के लिए खुला होगा.—(1) संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा चाहे वह किसी भी नस्ल, धर्म, जाति या वर्ग का हो तथा संस्थान में किसी व्यक्ति के लिए धार्मिक विश्वास या व्यवसाय या राजनैतिक विचार धारा का पालन या पाबंदी उसे संस्थान में शिक्षक नियुक्त करने या उसमें कसी पद पर कार्य करने या संस्थान में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने या उससे उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का लाम उठाने या प्रयोग करने के लिए कोई जाँच करना अवैध होगा।
- (2) संस्थान सभी राष्ट्रीयता के विद्यार्थियों के लिए खुला होगा तथा उन्हें निर्धारित रूप से प्रवेश दिया जायेगा।
- (3) इस धारा का कोई भी उपबंध संस्थान को महिलाओं या समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्त करने या प्रवेश देने के विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगा।
- 8 कुलाधिपति.—(1) दिल्ली के उपराज्यपाल संस्थान के कुलाधिपति होंगे।
 - (2) कुलाधिपति को भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों का निरीक्षण तथा उसे संस्थान की परीक्षाओं, अध्यापन कार्य तथा वहां संचालित किया जाने वाले या किए जाने वाले समस्त कार्यों के निरीक्षण का, संस्थान के प्रशासन या वित्त संबंधी किसी मामले में जांच किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से करवाने का अधिकार होगा।
 - (3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में निरीक्षण करवाने या जाँच करवाने के इरादे का एक नोटिस संस्थान को देगा तथा संस्थान को नोटिस प्राप्त होने पर कुलाधिपति को यथावश्यक अभ्यावेदन नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने का अधिकार होगा।
 - (4) संस्थान द्वारा दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार के पश्चात् कुलाधिपति उपधारा (3) में उल्लिखित निरीक्षण या जाँच करवा सकते है।
 - (5) जहां कुलाधिपति द्वारा निरीक्षण या जाँच के आदेश दिए गए हों, वहां संस्थान को प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है और उसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या जाँच के दौरान उपस्थित रहे।

- (6) ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के संबंध में कुलाधिपति निदेशक को संबोधित कर सकता है जैसाकि उपधारा (3) में संदर्भित है और निदेशक कुलाधिपति के विचारों को शासक मंडल को उस सलाह से संचारित करेगा जिस पर बाद में कुलाधिपति कार्यवाही करेंगे।
- (7) यदि ऐसी कोई कार्यवाही है तो शासक मंडल, निदेशक के माध्यम से कुलाधिपति को सूचित करेगा जैसाकि उस निरीक्षण या जांच के परिणाम स्वरूप उसे लेने का प्रस्ताव हो या ले लिया गया है।
- (8) यद्रि शासक मंडल उचित समय के अंतर्गत कार्यवाही नहीं करता है और कुलाधिपति संतुष्ट नहीं हैं तो कुलाधिपति अपनी इच्छा अनुसार निदेश जारी कर सकते हैं और शासक मंडल को ऐसे निदेशों का पालन करना होगा।
- (9) इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा संस्थान की कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं जोकि इस अधिनियम, कानून या अध्यादेश के अनुरूप नहीं है :

शर्त यह है कि कोई ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलाधिपति संस्थान से कारण पूछेंगे कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाये और दर्शाये गये कारण पर यदि कोई है, विचार किया जायेगा यदि यह उनके द्वारा विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर प्राप्त होता है।

- (10) भ्रष्टाचार की स्थिति में कुलाधिपति को अधिकार है कि वह अध्यक्ष या शासक मंडल के सदस्य को हटा सकते हैं। निष्कासन की शक्तियों का प्रयोग करते समय कुलाधिपति का अपना मत सरकार की सिफारिश पर आधारित होगा, जोकि अध्यक्ष या शासक मंडल के उन सदस्यों के विरुद्ध लंबित जांच पर आधारित होगी, जिनको हटाने का प्रस्ताव है।
- (11) कुलाधिपति के पास यथा निर्धारित ऐसी अन्य शक्तियां हैं ।
- 9. संस्थान के अधिकारी.-निम्नलिखित संस्थान के अधिकारी होंगे :-
 - (1) निदेशक;
 - (2) संकायाध्यक्ष;
 - (3) रजिस्ट्रार; तथा
 - (4) ऐसे अन्य अधिकारी जो संविधि द्वारा संस्थान के अधिकारी घोषित किये जाय।
- 10. निदेशक.—(1) निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विद्वान होंगे और उच्च शिक्षण स्नातक स्तर संस्थान में प्रशासनिक कार्य करने का अनुभव रखते हों ।

(2) शासक मंडल द्वारा निदेशक की नियुक्ति यथा निर्धारित ढंग, शर्तो, परिलब्धियों तथा अन्य सेवा शर्तों द्वारा की जायेगी ।

- (3) निदेशक, संस्थान का मुख्य शैक्षणिक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और संस्थान के पर्यवेक्षण तथा प्रबंध नियंत्रण कर सकता है और संस्थान के सभी प्राधिकरणों के निर्णय पर प्रभाव डालेगा।
- (4) यदि निदेशक का विचार है कि किसी मुद्दे पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थान के किसी प्राधिकारी में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उस मुद्दे पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा:

शर्त यह है कि यदि संबंधित प्राधिकारी का मत है कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो निदेशक उसे प्रदत्त शक्तियों के अलावा की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिये आवश्यक और संभव कार्यवाही करेगाः

शर्त और यह है कि संस्थान की सेवा में कोई व्यक्ति जो इस उपधारा के अंतर्गत निदेशक द्वारा की गई कार्यवाही से व्यथित है, वह ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उसके संचारित होने की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर शासक मंडल को अपील कर सकता है जिसपर शासक मंडल चाहे तो निदेशक द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि, या उसका संशोधन या उसे उलट सकता है।

- (5) निदेशक संविधि तथा अध्यादेश द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा।
- 11. संकायाध्यक्ष.—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की पद्धति, उनके द्वारा शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्य निष्पादन यथा निर्धारित प्रकार से होंगे ।
- 12. रजिस्ट्रार.—(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति ऐसी पद्धित ऐसी परिलब्धियों तथा सेवा शर्ती पर और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो निर्धारित हैं।
- (2) रजिस्ट्रार, शासक मंडल द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार संस्थान की ओर से अनुबंध करने तथा हस्ताक्षर करने एवं अभिलेख को प्रमाणित करने में सक्षम है ।
- 13. अन्य अधिकारी.—संस्थान के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की पद्धति, परिलक्ष्यियां, शक्तियां तथा कर्तव्य यथा निर्धारित प्रकार से होंगी।
- 14. संस्थान के प्राधिकार.-संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :
 - (1) सामान्य परिषद्;
 - (2) शासक मंडल;
 - (3) सीनेट;
 - (4) ऐसे अन्य प्राधिकार जोकि संविधि द्वारा संस्थान के प्राधिकार के रूप से घोषित हैं।

- 15. सामान्य परिषद्.—(1) सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा संस्थान के लिए सामान्य परिषद् गठित करेगी जिसके प्रमुख कुलाधिपति तथा अन्य सदस्य होंगे जोकि नौ से अधिक नहीं होंगे, और जो व्यक्तिगत रूप से विशेषज्ञ होंगे या सरकारी अधिकारी होंगे। सामान्य परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्ते सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र मे प्रकाशन द्वारा यथा अधिसूचित होंगी।
 - (2) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सामान्य परिषद् की मुख्यतः निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य होंगे, अर्थात् :--
 - (क) प्रवृत्ति एवं दिशा को सकारात्मक रूप से पहचानना तथा संस्थान के लिए नीतिगत योजना विकसित करना; इस योजना के निष्पादन का आयोजन एवं मॉनीटरिंग; संस्थान की दूरदर्शिता एवं उद्देश्य को उभरती प्रवृतियों एवं दिशाओं के प्रासंगिक बनाये रखना;
 - (ख) नीतिगत के निष्पादन हेतु नीतियां प्रतिपादित करना;
 - (ग) संस्थान की व्यापक नीतियों एवं कार्यक्रमों की समय—समय पर समीक्षा करना और संस्थान की उन्नति एवं विकास के उपाय सुझाना;
 - (घ) संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा और ऐसे लेखा पर इसके लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;
 - (ङ) किसी मुद्दे के संबंध में कुलाधिपति को सलाह देना जिसपर उनकी सलाह मांगी गई हो; तथा
 - (च) अन्य कार्य निष्पादित कंरना जोकि निर्धारित हैं।
- 16. शासक मंडल.— शासक मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति सिम्मिलित होंगे, अर्थात :--
 - (1) कुलाधिपति निर्धारित प्रक्रिया द्वारा अध्यक्ष को नामित करेंगे;
 - (2) निदेशक, पदेन;
 - (3) सरकार का प्रधान सचिव या सचिव, वित्त विभाग (पदेन);
 - (4) सरकार का सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग (पदेन);
 - (5) निदेशक द्वारा प्रस्तुत आठ व्यक्तियों के पैनल में से अध्यक्ष द्वारा नामित चार व्यक्तियों को जिन्हें शिक्षा या सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा प्रयोगात्मक अनुभव है । द्वितीय तथा अनुवर्ती शासक मंडल अध्यक्ष द्वारा नामांकन हेतु निदेशक के लिए आउट गोईंग बोर्ड के समक्ष पैनल प्रस्तुत करेगा;
 - (6) संस्थान के दो प्रोफेसर निदेशक द्वारा नामित होंगे; तथा
 - (7) रजिस्ट्रार, गैर सदस्य सचिव।
- 17. शासक मंडल के सदस्यों के बीच रिक्तियों की पदावधि तथा उन्हें देय भत्ते.—(1) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित —
 - (क) अध्यक्ष का कार्यकाल या शासक मंडल के किसी सदस्य का कार्यकाल उसके नामांकन की तिथि से तीन वर्ष का होगा जिसे दो वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा;
 - (ख) पदेन सदस्य का कार्यकाल तब तक रहेगा जहां वे अधिकार से कार्यालय में रहेंगे जिसके वे सदस्य हैं;

- (ग) अनियत रिक्ति को भरने के लिए नामित सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य की शेष अवधि तक निरंतर रहेगा जिसके स्थान पर उसे नामित किया गया है।
- (2) इस धारा में कुछ सम्मिलित होते हुए भी निर्गामी सदस्य तब तक कार्यालय में बना रह सकता है जब तक कि उसके स्थान पर दूसरे सदस्य को नामित न कर दिया जाए।
- (3) शासक मंडल के सदस्य ऐसे किसी भी भत्ते के पात्र हैं जोकि कानूनी तौर पर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं परन्तु निदेशक के अलावा कोई अन्य सदस्य तथा निदेशक का नामित व्यक्ति इस उपधारा के तहत किसी भी वेतन का पात्र होगा।
- 18. शासक मंडल के कार्य.—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासक मंडल संस्थान के मामलों के सामान्य अधीक्षण, निदेशों तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा संस्थान की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा बशर्ते इस अधिनियम द्वारा कानूनी एवं अध्यादेश द्वारा प्रावधान न किया गया हो तथा शासक मण्डल को सभा के कार्य की समीक्षा की शक्ति होगी।
 - (2) उपधारा (1) के प्रावधान के पूर्वाग्रह के बिना शासक मंडल को शक्ति हैं कि वह-
 - (क) संस्थान के प्रशासन एवं चलन से संबंधित नीति के प्रश्नों पर निर्णय करें;
 - (ख) संस्थान के अध्ययन पाठ्यक्रम:
 - (ग) अधिनियम बनानाः
 - (घ) पदों का सृजन, एवं संस्थान के अन्य पदों के साथ—साथ शैक्षिक पदों को भरना तथा वेतन का निर्धारण तथा कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के निबंधन एवं शर्ते;
 - (ङ) अध्यादेश पर विचार, परिवर्तन या रद्द करना;
 - (चं) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा पर विचार तथा संकल्प पास करना और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान का बजट प्राक्कलन साथ ही साथ विकास प्लान का विवरण जो उसके लिए उचित हो; तथा
 - (छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य दायित्वों का निर्वाह करना जोकि उसे इस अधिनियम या कानून द्वारा प्रदत्त हैं या दी गई हैं।
 - (3) शासक मंडल को यह शक्ति प्रदान है कि वो ऐसी समितियों की नियुक्ति कर सकता हैं जोकि इस अधिनियम के अंतर्गत उसकी दायित्व की शक्तियों एवं निष्पादन के लिए आवश्यक हैं।
 - (4) शासक मंडल कम से कम वर्ष में चार बार बैठक करेंगे तथा बोर्ड की बैठक का कोरम पूरा करने के लिए कम से कम पांच सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
- 19. सीनेट.—(1) सीनेट संस्थान के मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम, कानून तथा अध्यादेश के प्रावधानों के तहत नियंत्रण तथा विनियम के लिए जिम्मेवार होंगे :—
 - (क) संस्थान के अनुकूल योजना को कार्यान्वित करने के लिए निदेशक के माध्यम से शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाने के लिए शासक मंडल से परस्पर विचार—विमर्श करना;
 - (ख) संस्थान के अंतर्गत अनुदेशों, शिक्षा तथा परीक्षक का मानक बनाए रखना; तथा
 - (ग) कुछ अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा अन्य दायित्वों का निष्पादन जोकि उसे कानूनी रूप से प्रदत्त हैं या प्रदान की गई हैं।

- (2) सीनेट का संविधान तथा इसके सदस्यों के कार्यालय की अवधि यथानिर्धारित है।
- (3) सीनेट सभी शैक्षिक विषय पर शासक मंडल को सलाह देने का अधिकार होगा।
- 20 वित्त समिति.—(1) शासक मंडल द्वारा एक वित्त समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—
 - (क) निदेशक;
 - (ख) शासक मंडल द्वारा उसके सदस्यों में से दो सदस्य नामांकित किए जाएंगे जिनमें एक प्रोफेसर होगा;
 - (ग) संविधियों द्वारा यथानिर्धारित अन्य सदस्य।
 - (2) निदेशक और प्रोफेसर के अलावा वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल तब तक होगा जब तक वे शासक मंडल के सदस्य बने रहेंगे ।
 - (3) बित्त समिति के कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होंगे :--
 - (क) संस्थान के वार्षिक बजट की जांच तथा छानबीन करना तथा शासक मंडल को वित्तीय मामलों पर सिफारिशें करना;
 - (ख) नए व्यय के लिए सभी प्रस्तावों पर विचार करने के लिये तथा शासक मण्डल को सिफारिशें करना:
 - (ग) लेखा की आवधिक विवरणियों पर विचार करना तथा समय—समय पर संस्थानं की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करना एवं शासक मंडल के लिये पुनःविनियोग विवरणियों पर विचार करना:
 - (घ) स्वयं अपनी पहल पर या शासक मंडल से प्राप्त पत्रों पर विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर शासक मंडल को अपना अभिमत देना और सिफारिशें करना;
 - (4) वित्त समिति वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी। किसी भी बैठक में वित्त समिति के दो सदस्यों का कोरम होगा ।
 - (5) निदेशक, वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, और उनकी अनुपस्थिति में बैठक का एक निर्वाचित सदस्य अध्यक्षता करेगा। सदस्यों में भिन्न—भिन्न मत होने की स्थिति में उपस्थित सदस्यों का बहुमत का मत मान्य होगा।
- 21. अन्य प्राधिकरण.—संविधि द्वारा घोषित संस्थान के अन्य प्राधिकरणों का गठन, अधिकार तथा प्रकार्य यथानिर्धारित होंगे।
- 22. संविधियां.— इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संविधि में निम्न सभी या किसी विषय पर उपबंध बनाये जा सकते हैं, अर्थात् :—
 - (1) समय—समय पर गठित हो सकने वाले यथावश्यक प्राधिकरणों और संस्थान के निकायों के गठन, शक्तियां तथा कर्त्तव्य;

- (2) प्राधिकरणों तथा संस्थान के निकायों के सदस्यों के पद का चुनाव तथा बना रहना, सदस्यों की रिक्तियां भरना और इससे सम्बद्ध सभी अन्य विषय, जिसे संस्थान व्यवस्था के लिये आवश्यक या वाछनीय समझता है;
- (3) संस्थान के अधिकारियों की नियुक्ति की पद्धति, उनकी सेवा शर्तों, उनकी शक्तियां, कर्त्तव्य और परिलब्धियां;
- (4) सभी कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के पदों का सृजन, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, भत्तों आदि सहित वेतन संरचना;
- (5) विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां, सहायता पद्धति, शिविर की नौकरियां इत्यादि, उनकी भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व सहित मूल्यों तथा शर्तों का निधारण;
- (6) संस्थान के अध्यापकों, शैक्षिक स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की पद्धति;
- (7) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये किसी अन्य संस्थान में कार्यरत अध्यापकों तथा अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति की पद्धति, सेवा की शर्ते और परिलब्धियां;
- (8) संस्थान के कर्मचारियों के लाभार्थ / हित के लिये पेंशन या भविष्य निधि का निर्माण तथा एक बीमा योजना की स्थापना करना;
- (9) संस्थान के कर्मचारियों के वरिष्ठता क्रम को नियंत्रित करने वाले सिद्धान्त;
- (10) संस्थान के किसी कर्मचारी या किसी विद्यार्थी द्वारा किसी अपील की प्रक्रिया;
- (11) मानद उपाधियां प्रदान करना;
- (12) मेंडलों तथा पुरस्कारों तथा अन्य प्रोत्साहनों को शुरू करना;
- (13) संस्थान के कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना;
- (14) चेयरों, अध्ययन के विद्यालयों, विभागों केन्द्रों इत्यादि की स्थापना;
- (15) प्राधिकरणों या संस्थान के अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; तथा
- (16) सभी अन्य विषय जिनपर इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत संविधि द्वारा प्रावधान किया जाना है या किया जा सकता है ।
- 23. संविधि प्रक्रिया.—(1) प्रथम संविधि इस अधिनियम के लागू होने से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से सरकार द्वारा बनाई जायेंगी।
 - (2) समय—समय पर शासक मण्डल नये या अतिरिक्त संविधि बना सकता है या उपधारा (1) के अन्तर्गत इसे संदर्भित संविधि को संशोधित या निरस्त कर सकता हैं:

शर्त यह है कि शासक मंडल संस्थान के किसी प्राधिकरण की स्थिति शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी संविधि की रचना, संशोधन या निरसन तब तक नहीं करेगा, जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तन संबंधी लिखित में अपना अभिमत प्रकट करने का यथोचित अवसर और शासक मंडल द्वारा विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर इस प्रकार प्रकट किया गया कोई अभिमत न दिया गया हो।

- (3) प्रत्येक नयी संविधि या संविधियों में परिवर्धन या इसमें संशोधन या निरसन के लिये कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा जो इस पर अपनी सहमित दे सकता है, इसे रोक सकता हैं या इसके द्वारा दी गई टिप्पणी, यदि कोई है को देखते हुये शासक मण्डल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है ।
- (4) कोई नयी संविधि या किसी वर्तमान संविधि को संशोधित या निरस्त करने वाली कोई संविधि तब तक वैध नहीं होगी, जब तक इसे कुलाधिपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है।

शर्त यह हैं कि यदि कुलाधिपति द्वारा प्राप्त संदर्भ के नब्बे दिन के भीतर वह अपना निर्णय सूचित नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि कुलाधिपति ने प्रस्ताव को अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

- 24. अध्यादेश.—(1) इस अधिनियम तथा संविधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सभी या एक विषय के लिये अध्यादेश लाया जा सकता है, अर्थात :—
 - (क) छात्रों की प्रवेश, अध्यापन पाठ्यक्रम तथा इनके शुल्क, डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को प्रदान करने संबंधी योग्यतायें तथा फैलोशिप और पुरस्कार तथा अन्य सम्मान को प्रदान किये जाने की शर्ते;
 - (ख) परीक्षाओं का आयोजन जिसमें परीक्षक के पद तथा नियुक्ति की शर्ते शामिल है,
 - (ग) छात्रों के आवास तथा उनके सामान्य अनुशासन की स्थितियां;
 - (घ) कर्मचारियों तथा संस्थान के बीच या छात्रों और संस्थान के बीच विवादों के निपटान संबंधी पद्धतियां;
 - (ङ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन रख रखाव;
 - (च) संस्थान के कर्मचारियों के आचरण और कर्त्तव्यों का विनियमन तथा संस्थान के छात्रों के आचरण का विनियमन,
 - (छ) कदाचार की श्रेणिया, जिनके लिये इस अधिनियम या संविधियों या अध्यादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी; तथा
 - (ज) अन्य कोई विषय, जो इस अधिनियम या संविधियों के अधीन या उसके द्वारा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किये गये हो या किये जायें ।
- (2) सरकार या शासक मंडल के अनुमोदन से निदेशक द्वारा प्रथम अध्यादेश बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए अध्यादेश निदेशक मंडल द्वारा यथानिर्धारित पद्धित से संशोधित निरस्त/रद्द या परिवर्धित हो सकेंगे।
- 25. विनियम.—संस्थान के प्राधिकारी तथा उनके द्वारा नियुक्त समिति यदि कोई समिति हो लेकिन इस अधिनियम, संविधि या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित नहीं है इस अधिनियम, संविधि, अध्यादेशों के अनुरूप अपने कार्य व्यवहार के निष्पादन हेतु संविधियों द्वारा यथानिर्धारित पद्धति से विनियम बना सकते हैं।
- 26. वार्षिक प्रतिवेदन.—(1) संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन निदेशक के निदेशों के अन्तर्गत तैयार किया जाएगा जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामान्य परिषद् द्वारा सामान्य नीतियों एवं संपूर्ण निदेशों के अनुसार सुधार लाने हेतु किये गये उपाय तथा अन्य मामले सम्मिलित होंगे ।

- (2) इस प्रकार तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन शासक मंडल के अनुमोदन के पश्चात् यथानिर्धारित तिथि तक कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो उसे दिल्ली की विधानसभा में यथाशीघ्र प्रस्तुत करायेगी ।
- 27. वार्षिक लेखा.—(1) संस्थान के वार्षिक लेखे तथा तुलन—पत्र प्रबंधन बोर्ड के निदेशों के अन्तर्गत तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम पंद्रह महीनों के अन्तराल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा या इस संबंध में यथाप्रधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी ।

(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखों की प्रति कुलाधिपति को शासक मण्डल टिप्पणियों सहित, यदि कोई हो तो, भेजी जायेगी ।

- (3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा की गई कोई टिप्पणी शासक मंडल की सूचना में लाई जाएगी।
- (4) कुलाधिपति को प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखों की प्रति सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो कि उसे यथाशीघ्र दिल्ली की विधानसभा में प्रस्तुत करायेगी ।
- 28. कर्मचारियों की सेवा शर्तें.—(1) संस्थान नियमित आधार पर या अन्य प्रकार से नियुक्त संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी के साथ लिखित सेवा संविदा करेगा तथा संविदा की शर्तें इस अधिनियम, संविधियों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के प्रतिकूल नहीं होगी।
 - (2) उपधारा (1) में उल्लिखित अनुबंध को एक प्रति संस्थान के पास रहेगी तथा एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भेजी जायेगी।
- 29. मध्यस्थता न्यायाधिकरण.—(1) संस्थान तथा कर्मचारी के बीच किसी रोजगार अनुबंध के विषय में पैदा विवाद को न्यायाधिकरण में मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा जिसमें शासक मंडल द्वारा मनोनीत एक सदस्य संबंधित कर्मचारियों द्वारा मनोनीत एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा मनोनीत निर्णायक (अंपायर) होगा।
 - (2) ऐसा प्रत्येक संदर्भ तत्समय प्रवृत्त मध्यस्थता विधि के अर्थ में इस धारा की शर्तो पर मध्यस्थता के लिये प्रस्तुत किया समझा जायेगा तथा उस विधि के समस्त उपबंध उसकी धारा 2 के अपवाद सहित तद्नुसार लागू होंगे।
 - (3) मध्यस्थता न्यायाधिकरण के कार्यों को विनियमित करने की पद्धति यथानिर्धारित होगी।
 - (4) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्य होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णित किसी मामले के संबंध में न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद नहीं होगा।
- 30. भविष्य एवं पेंशन निधि —संस्थान अपने कर्मचारियों के लाभार्थ ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था करेगा जैसा वह यथानिर्धारित एवं पद्धित के अनुसार उचित समझे ।
- 31. संस्थान अधिकरणों तथा निकायों के गठन संबंधी विवाद.—यदि ऐसा कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई व्यक्ति संस्थान के किसी अधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य बनने के लिए विधिवत चयनित या नियुक्त या पात्र है तो इस विषय को कुलाधिपित के पास भेजा जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

- 32. आकस्मिक रिक्त पदों को भरना.—िकसी प्राधिकरण या संस्थान की किसी अन्य निकाय में सदस्यों के बीच समस्त आकस्मिक रिक्तियां (पदेन सदस्यों को छोड़कर) जब भी सुविधाजनक हो, उस व्यक्ति या निकाय निकाय द्वारा भरी जायेंगी जो सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव करता है जिसके स्थान पर रिक्ति हुई है तथा कोई व्यक्ति नियुक्त, चुना गया हो या आकस्मिक रिक्ति के लिए सहभागी बना हो, उस शेष अवधि के लिये प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसका चुनाव हुआ है, सदस्य के रूप में होगा ।
- 33. संस्थान अधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अमान्य नहीं होगी.—
 किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अमान्य
 नहीं होगी कि उनके सदस्यों के बीच रिक्ति थी ।
- 34. सद्भाव में की गई कार्यवाही के लिए सुरक्षा.—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी न्यायालय में संस्थान के विरुद्ध अथवा संस्थान के प्राधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी अथवा संस्थान के किसी प्राधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी के आदेश या निदेश के अधीन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के विरुद्ध किसी भी ऐसे कार्य के लिये नहीं होगा जो कि इस अधिनियम या संविधि या अध्यादेश के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किया गया हो या ऐसा करने का आशय हो ।
- 35. संस्थान अभिलेख के प्रमाण का तरीका.—िकसी प्राधिकरण या संस्थान की सिमिति की किसी प्राप्ति, आवेदन, आदेश, कार्यवाही, संकल्पों की प्रति या संस्थान के पास रखे गये अन्य दस्तावेज या संस्थान द्वारा भलीभांति पोषित किसी रिजस्टर में किसी प्रकार की प्रविष्टि की प्रति यदि इस प्रकार निर्दिष्ट पंजीयक द्वारा प्रमाणित की गई हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुये उसमें विनिर्दिष्ट मामलों तथा कार्य व्यवहार के साक्ष्य के रूप में समझा जायेगा जहां उसकी मूल प्रति प्रस्तुत की गई हो साक्ष्य के रूप में व्यवहार्य हो ।
- 36. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई पैदा होती है तो सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा जैसा अपेक्षित हो ऐसा कार्य कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो तथा जो उसे इन कठिनाईयों को दूर करने में आवश्यक प्रतीत हो:

शर्त यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात इस धारा के अधीन ऐसे आदेश नहीं बनाये जायेंगे ।

- 37. परिवर्तनीय प्रावधान.—इस अधिनियम या संविधियों में किसी भी बात के अन्यथा होते हुये, शासक मंडल को कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जायेगा तथा वह तीन वर्ष की अविध के लिए पद पर बना रहेगा ।
- 38 संविधियों तथा अध्यादेशों का सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाना तथा विधायिका के सामने प्रस्तुत किया जाना.—(1) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक संविधि तथा अध्यादेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक संविधि तथा अध्यादेश के बनने के तुरंत बाद इसे यथाशीघ्र विधानसभा के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अविध के लिये रखा जायेगा । यह अविध एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रामिक सत्रों में

पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र में या पूर्वोक्त अनुक्रामिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन किसी संविधि या अध्यादेश में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिये सहमत होता है या इसके लिये सहमत होता है कि संविधि तथा अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिये, तो संविधि या अध्यादेश संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, किन्तु ऐसे संशोधन या निरसन का उक्त संविधि तथा अध्यादेश, जैसी भी स्थिति हो, के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

राकेश स्याल, संयुक्त सचिव

(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS) NOTIFICATION

Delhi, the 2nd May, 2008

No. F. 14(31)/LA-2007/LJ/08/2958.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 21st April, 2008 and is hereby published for general information:—

"The IIIT – Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 2nd April, 2008)

[21st April, 2008]

An Act to establish and incorporate a non-affiliating and teaching Institute at Delhi to facilitate and promote studies, research, incubation, and extension work in Information Technology and its application domains, and also to achieve excellence in these and connected fields.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows: -

- 1. Short Title and commencement. (1) This Act may be called the IIIT(Indraprastha Institute of Information Technology)- Delhi Act, 2007.
- (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.
- 2. Definitions. In this Act, unless the context otherwise requires,
- (a) "Senate" means the Senate of the Institute, an academic body;
- (b) "Academic staff" means such categories of staff as are designated by the Statutes to be the academic staff of the Institute;
- (c) "Board of Governors" means the Board of Governors of the Institute;
- (d) "Institute" means the IIIT Delhi as incorporated under this Act;
- (e) "Campus" means the unit established or constituted by the Institute for making arrangements for instruction, or research, or both;

- (f) "Chancellor", and "Director" means respectively the Chancellor and the Director of the Institute;
- (g) "Chairman" means the Chairman of the Board of Governors;
- (h) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;
- (i) "department" means a department of studies of the Institute;
- (j) "employee" means any person appointed by the Institute;
- (k) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution;
- (1) "hall" means a unit of residence or of corporate life for the students of the Institute;
- (m) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;
- (n) "misconduct" means a misconduct prescribed by the Statutes;
- (o) "prescribed," means prescribed by the Statutes made under this Act;
- (p) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the Institute for the time being in force; and
- (q) "Institute teachers" means professors, associate professors and assistant professors and lecturers and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the Institute and are designated as teachers by the Statutes.
- 3. Incorporation. (1) With effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint, there shall be established an Institute by the name of "HIT-Delhi", comprising the Chancellor and the Director, the Board of Governors and the senate of the Institute and all such persons as may hereafter be appointed at such office or as members so long as they continue to hold such office or membership.
- (2) The Institute shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued.

- (3) The Institute shall be financially and administratively autonomous and as such shall be self-sufficient on capital and operational accounts having its own governance as well as administrative policies and practices as prescribed.
- (4) The Government shall provide to the Institute an appropriate piece of land free of cost. It shall extend funds for the establishment of initial infrastructure including land development, architectural design, buildings, equipment and other needs. These interest free funds shall be repaid to the Government, in such timeframe as may be set by the Government and provided that the period for repayment of funds shall not commence till a period of five years from the date appointed for the commencement of this Act.
- (5) Notwithstanding anything said in sub-section (4) above, the Institute may approach the Government at any time for loans, on such terms and conditions as mutually agreed, to meet its expansion and development.
- (6) Where the Government may decide that educational facilities offered by the institute shall be given on a subsidised rate to the needy and deprived sections of the society, the Government shall make good the amount of the subsidy involved, to the Institute.
- 4. Jurisdiction. Save as otherwise provided by or under this Act, the limits of the area within which the Institute shall exercise its powers, shall be those of the National Capital Territory of Delhi.
- 5. Objects of the Institute. The objects of the Institute shall be -
 - (a) To establish and incorporate a non-affiliating teaching institute for imparting IT education in Delhi.
 - (b) To facilitate and promote studies, research and consultancy work in Information Technology and its application domains
 - (c) To achieve excellence in IT and matters connected therewith or incidental thereto
 - (d) To create a paradigm shift in the way IT can be used for improving the delivery of services in selected domains.
 - (e) To be a change-agent that shall contribute to enable industry to develop state of the art products and services

- (f) To be industry relevant at all times and to create an impact on the fellow academic community in India and abroad
- (g) To be an open institution to attract best minds of the world and to be completely globally integrated.
- 6. Powers of the Institute. The Institute shall have the following powers, namely:
- (1) to provide for instruction in such branches of learning as the Institute may, from time to time, determine and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;
- (2) to grant, subject to such conditions as the Institute may determine, diplomas and certificates to, and confer degrees and other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on person;
- (3) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;
- (4) to organize and to undertake extramural studies and extension services;
- (5) to create and establish contractual teaching and 'academic positions including professor-ships, associate and assistant professor-ships, lecturer-ships and others required by the Institute and to appoint persons to such positions;
- (6) to create and establish contractual administrative, ministerial and other posts in the Institute required by the Institute and to appoint persons to thereto;
- (7) to fix the salary structure including allowances, provident fund, etc. of all positions mentioned in clauses (5) and (6) above so as to meet the minimum norms of regulatory bodies, provided that the net salaries may be higher than these but in no case lower; to determine the contractual terms, length and tenure of contract, expectations, roles and responsibilities etc. associated with the contract for all academic, teaching and other employees; to establish revenue sharing mechanisms with all its employees:
- (8) to appoint persons working in any other Institute or organisation as teachers of the Institute for a specified period;
- (9) to co-operate or collaborate or associate with any other Institute, authority or organisation of higher learning, industry and corporate house, laboratory, engaged in cutting-edge work, in such manner and for such purpose as the Institute may determine;
- (10) to approve persons working in organisations as mentioned in clause (9) above for imparting instruction or supervising research, or both, and to withdraw such approval;

- (11) to build up a body of academia to perform academic functions, and to pay them remuneration in the manner prescribed;
- (12) to prescribe fees and other charges to be levied on the students;
- (13) to set up facilities like computer centre, instrumentation centre, library, etc;
- (14) to set up curriculum development centres for different subjects;
- (15) to determine standards for admission to the Institute which may include examination, evaluation or any other method of selection;
- (16) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (17) to demand and receive fees and other charges;
- (18) to supervise the residence of the students of the Institute and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (19) to make such special arrangements in respect of women students as the Institute may consider desirable;
- (20) to regulate the conduct of the students of the Institute;
- (21) to regulate the work and conduct of the employees of the Institute;
- (22) to regulate and enforce discipline among the employees and the students of the Institute and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary;
- (23) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the Institute;
- (24) to receive benefactions, donations and gifts from persons and to name such chairs, institutions, buildings and the like as the Institute may determine;
- (25) to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust and endowment properties, for the purposes of the Institute except for the land acquired or building constructed with the assistance of the Government in which case prior approval of the Government shall be required;
- (26) to borrow, with the approval of the Government, on security of the property of the Institute, moneys for the purposes of the Institute;
- (27) to assess the needs in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of technical manpower, both on short and long term basis, and to initiate necessary programmes to meet these needs;
- (28) to provide for instruction through "distance learning" and "open approach" and for mobility of students from the non-formal (open learning) stream to the formal stream and vice-versa; and

- (29) to do all such other acts and things as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the Institute or necessary for or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Institute.
- 7. Institute open to all classes, castes, and creeds. (1) The Institute shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the Institute to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion in order to entitle him to be appointed as a teacher of the Institute or to hold any other office therein or to be admitted as a student of the Institute, or to graduate thereat, or to enjoy or exercise any privilege thereof.
- (2) The Institute shall be open to students of any nationality and these may be admitted in a manner so prescribed;
- (3) Nothing in this section shall be deemed to prevent the Institute from making any special provision for the appointment or admission of women or of persons belonging to the weaker sections of the society, and in particular, of persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
- 8. The Chancellor. (1) The Lieutenant Governor of Delhi shall be the Chancellor of the Institute.
- (2) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of buildings, laboratories and equipment, and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the Institute, and to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the Institute.
- (3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the Institute of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the Institute shall, on receipt of such notice, have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary, within such period as specified in the notice.
- (4) After considering the representation, if any, made by the Institute, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3).
- (5) Where an inspection or inquiry has been ordered by the Chancellor, the Institute shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

- (6) The Chancellor may address the Director with reference to the result of such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3) and the Director shall communicate to the Board of Governors the views of the Chancellor with such advice as the Chancellor may be pleased to offer upon the action to be taken thereon.
- (7) The Board of Governors shall communicate through the Director to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken by it upon the result of such inspection or inquiry.
- (8) Where the Board of Governors does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may issue such directions as he may think fit and the Board of Governors shall comply with such directions.
- (9) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the Institute which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances:

Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the Institute to show cause why such an order should not be made and shall consider the cause shown, if any, within the time-limit specified by him.

- (10) The Chancellor shall have the power to remove either the Chairperson or a member of the Board of Governors in the event of malfeasance. In exercising such powers of removal the Chancellor would form his opinion based on the recommendation of the Government, which in turn would be based on due enquiry against the Chairperson or member Board of Governors, who is proposed to be removed.
- (11) The Chancellor shall have such other powers as may be prescribed.
- 9. Officers of the Institute. The following shall be the officers of the Institute:-
- (1) The Director;
- (2) The Deans;
- (3) The Registrar; and
- (4) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the Institute.
- 10. The Director. (1) The Director shall be a scholar of eminence in the area of Information Technology or Computer Science or Computer Engineering having administrative experience in a degree level institution of higher learning.

- (2) The Director shall be appointed by the Board of Governors in such a manner, on such terms and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed.
- (3) The Director shall be the principal academic and chief executive officer of the Institute and shall exercise supervision and control over the affairs of the Institute and give effect to the decisions of all the authorities of the Institute.
- (4) The Director may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the Institute by or under this Act and shall report to such authority the action taken by him on such matter:

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, the Director shall take such action as is necessary and feasible to annul the action taken by the Director in excess of the powers conferred upon him.

Provided further that any person in the service of the Institute who is aggrieved by the action taken by the Director under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Board of Governors within ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Board of Governors may confirm, modify or reverse the action taken by the Director.

- (5) The Director shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.
- 11. The Deans. Every Dean shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
- 12. Registrar. -(1) The Registrar shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.
- (2) The Registrar empowered by the Board of Governors shall have the power to enter into, and sign, agreements and authenticate records on behalf of the Institute.
- 13. Other Officers. The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the Institute shall be such as may be prescribed.
- 14. Authorities of the Institute. The following shall be the authorities of the Institute:
- (1) The General Council
- (2) The Board of Governors
- (3) The Senate.

- (4) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the Institute.
- 15. The General Council. (1) The Government shall constitute by a notification to be published in the official gazette, a General Council for the institute to be headed by the Chancellor and such other members, not exceeding nine, and who shall be individual experts or officers of the Government. The terms and conditions of appointment of members of the General Council shall be as notified by the Government by publication in the official gazette.
- (2) Subject to the provisions of this Act, the General Council shall have the following powers and functions, namely:
- (a) to proactively identify trends and directions and develop a strategic plan for the Institute; plan and monitor the execution of this plan; keep the vision and mission of the Institute relevant to emerging trends and directions.
- (b) To formulate policies to execute the strategic plan
- (c) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the Institute and to suggest measures for the improvement and development of the Institute;
- (d) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the Institute and the report of its auditors on such accounts;
- (e) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
- (f) to perform such other functions as may be prescribed.
- 16. Board of Governors. The Board of Governors shall consist of the following persons, namely:
- (1) the Chairman, to be nominated by the Chancellor in the manner prescribed;
- (2) the Director, ex-officio;
- (3) the principal Secretary, or Secretary, Finance Department of the Government (exofficio);
- (4) the Secretary, Technical Education Department of the Government (ex-officio);

1614 DG/08-4

- (5) four persons having special knowledge or practical experience in respect of education, Information Technology, domain of application of Information Technology, to be nominated by the Chairman, from a panel of eight persons submitted by the Director. For the second and subsequent Board of Governors, the Director shall place the panel before the outgoing Board for nomination by the Chairman;
- (6) two professors of the Institute, to be nominated by the Director; and
- (7) the Registrar, non-member Secretary.
- 17. Term of office of vacancies among, and allowances payable to, the members of the Board of Governors. (1) Save as otherwise provided in this section:
- (a) the term of office of the Chairman or any other member of the Board of Governors shall be three years from the date of his nomination, extendable by two years.
- (b) the term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member.
- (c) the term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.
- (2) Notwithstanding anything contained in this section, an out-going member shall, continue in office until another person is nominated as a member in his place.
- (3) The members of the Board of Governors shall be entitled to such allowances, if any, from the Institute as may be provided for in the Statutes but no member other than the Director and nominees of the Director shall be entitled to any salary by reason of this sub-section.
- 18. Functions of the Board of Governors. (1) Subject to the provisions of this Act, the Board of Governors shall be responsible for the general superintendence, direction and control of the affairs of the Institute and shall exercise all the powers of the Institute not otherwise provided for by this Act, the Statutes and the Ordinances, and shall have the power to review the work of the Senate.
- (2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board of Governors shall have the power to --
- (a) take decisions on questions of policy relating to the administration and working of the Institute;
- (b). institute courses of study;
- (c) make Statutes;

- (d) create positions and appoint persons to academic as well as other posts in the Institute and determine salary structure and the terms and conditions of different cadres of employees;
- (e) consider and modify or cancel Ordinances;
- (f) consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and the budget estimates of the Institute for the next financial year together with a statement of its development plans as it thinks fit; and
- (g) exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act or the Statutes.
- (3) The Board of Governors shall have the power to appoint such committees as it considers necessary for the exercise of its powers and the performance of its duties under this Act.
- (4) The Board of Governors shall meet at least four times in a year and the presence of at least five members will form the quorum for a meeting of the Board.
- 19. The Senate. (1) The Senate shall be the principal academic body of the Institute and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and regulation of, and be responsible for
- a. Interacting with the Board of Governers through the Director for formulation of academic policies and programmes to realise the strategic plan of the Institute;
- b. maintenance of standards of instruction, education and examination within the Institute; and,
- c. exercise of such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes;
- (2) The constitution of the Senate and the terms of office of its members shall be as prescribed.
- (3) The Senate shall have the right to advise the Board of Governors on all academic matters.
- 20. Finance Committee. (1) There shall be a Finance Committee constituted by the Board of Management consisting of the following:-
- (a) the Director;

- (b) two other members nominated by the Board of Governors from amongst its members of whom one shall be a professor;
- (c) such other members as may be prescribed by the Statutes;
- (2) The members of the Finance Committee other than the Director and professor, shall hold office so long as they continue as members of the Board of Governors:
- (3) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:-
- (a) to examine and scrutinize the annual budget of the Institute and to make recommendations on financial matters to Board of Governors;
- (b) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Board of Governors;
- (c) to consider the periodical statement of accounts and to review the finances of the Institute from time to time and to consider re-appropriation statements to the Board of Governors;
- (d) to give its views and to make recommendations to the Board of Governors on any financial question affecting the Institute either on its own initiative or on reference from the Board of Governors.
- (4) The Finance Committee shall meet, at least, four times in a year. Two members of the Finance Committee shall form the quorum at any meeting.
- (5) The Director shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence, a member elected at the meeting shall preside. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members present shall prevail.
- 21. Other Authorities. The constitution, powers and functions of the other authorities that may be declared by the Statutes to be the authorities of the Institute, shall be such as may be prescribed.
- 22. Statutes. Subject to the provision of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (1) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the Institute, as may be found necessary to be constituted from time to time;
- (2) the election and continuance in office of the members of the authorities and bodies of the Institute, the filling up of vacancies of members and all other matters relating thereto which the Institute may deem necessary or desirable to provide;
- (3) the manner of appointment of the officers of the Institute, terms and conditions of their service, their powers and duties and emoluments;

- (4) creation of posts in different cadres of all employees, determination of their terms and conditions, salary structure including allowances, etc.;
- (5) creation of scholarships, assistantships, campus jobs, etc. for students, fixing their value along with roles and responsibilities and terms and conditions;
- (6) the manner of appointment of the teachers of the Institute, academic staff, and other employees;
- (7) the manner of appointment of teachers and other academic staff working in any other Institute for a specified period, their terms and conditions of service and emoluments;
- (8) the constitution of the pension or the provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the employees of the Institute;
- (9) the principles governing the seniority of employees of the Institute;
- (10) the procedure for any appeal by an employee or a student of the Institute;
- (11) conferment of honorary degrees;
- (12) institution of medals and prizes and other incentives;
- (13) maintenance of discipline among the employees of the Institute;
- (14) establishment of chairs, schools of studies, departments, centres, etc.;
- (15) the delegation of powers vested in the authorities or the officers of the Institute; and
- (16) all other matters which, by or under this Act and the statutes thereunder, are, or to be, or may be, provided.
- 23. Statutes how made. (1) The first Statutes shall be those made by the Government with the prior approval of the Chancellor within thirty days of the commencement of this Act.
- (2) The Board of Governors may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the Board of Governors shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, power or constitution of any authority of the Institute until such authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change, and any opinion so expressed within the time specified by the Board of Governors has been considered by the Board of Governors.

- (3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold his assent or remit it to the Board of Governors for reconsideration in the light of the observations, if any, made by him.
- (4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has received the assent of the Chancellor:

Provided that if the Chancellor does not convey his decision within ninety days of the reference received by him, the Chancellor shall be deemed to have given his assent to the proposal.

- 24. Ordinances. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:
- (a) the admission of students, the courses of study and the fees thereof, the qualifications pertaining to the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the conditions for the grant of fellowships and awards and the like;
- (b) the conduct of examinations, including the terms and conditions of office and appointment of examiners;
- (c) the conditions of residence of students and their general discipline;
- (d) the procedures for the settlement of disputes between the employees and the Institute, or between the students and the Institute;
- (e) maintenance of discipline among the students of the Institute;
- (f) regulation of the conduct and duties of the employees of the Institute and regulation of the conduct of the students of the Institute;
- (g) the categories of misconduct for which action may be taken under this Act or the Statutes or the Ordinances; and
- (h) any other matter which, by or under this Act or the Statutes, is to be, or may be, provided for by the Ordinances.
- (2) The first Ordinances shall be made by the Director with the approval of the Government or Board of Governors and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to, at any time by the Board of Governors in such manner as may be prescribed.
- 25. Regulations. The authorities of the Institute may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, in the manner prescribed by the Statutes

for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

- 26. Annual Report. (1) The annual report of the Institute shall be prepared under the directions of the Director and shall include, among other matters, the steps taken by the Institute towards the fulfillment of its objectives and for realigning the Institute in accordance with the overall directions and general policies set by the General Council.
- .(2) The annual report so prepared shall, after the approval of the Board of Governors, be submitted to the Chancellor by such date as may be prescribed.
- (3) A copy of the annual report, as prepared under sub-section(1), shall also be submitted to the Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.
- 27. Annual Accounts. (1) The annual accounts and the balance sheet of the Institute shall be prepared under the direction of the Director, and approved by the Board of Governors and shall, at least once every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Comptroller and Auditor General of India or such person or persons as he may authorize in this behalf.
- (2) A copy of the accounts together with the audit report shall be submitted to the Chancellor along with the observations, if any, of the Board of Governors.
- (3) Any observation made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Board of Governors.
- (4) A copy of the accounts together with the audit report, as submitted to the Chancellor, shall also be submitted to the Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.
- 28. Conditions of Service of Employees. (1) The Institute shall enter into a written contract of service with every employee of the Institute appointed on regular basis or otherwise and the terms and conditions of the contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) A copy of the contract referred to in sub section (1) shall be lodged with the Institute and a copy thereof shall also be furnished to the employee concerned.

- 29. Tribunal Arbitration. (1) Any dispute arising out of a contract of employment between the Institute and the employee shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Board of Governors, one member nominated by the employee concerned and an umpire to be nominated by the Chancellor.
- (2) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration on the terms of this section within the meaning of the Law of Arbitration as in force, and all the provisions of that Law, with the exception of section 2 thereof, shall apply accordingly
- (3) The procedure for regulating the work of the Tribunal of Arbitration shall be such as may be prescribed.
- (4) The decision of the Tribunal of Arbitration shall be final and binding on the parties, and no suit shall lie in any court in respect of any matter decided by the Tribunal.
- 30. Provident and Pension Funds. The Institute shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or pension fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
- 31. Disputes as to the constitution of the Institute authorities and bodies. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the Institute, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
- 32. Filling of casual vacancies. All casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the Institute shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body who appoints, elects or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member.
- 33. Proceedings of the Institute authorities or bodies not invalidated by vacancies. No act or proceedings of any authority or other body shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies among its members.

- 34. Protection of action taken in good faith. No suit or other legal proceeding shall lie in any court against the Institute or against any authority, officer or employee of the Institute or against any person or body of persons acting under the order or direction of any authority or officer or other employee of the Institute for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances.
- 35. Mode of proof of Institute record. A copy of any receipt, application, notice, order, proceedings, resolution of any authority or committee of the Institute, or other documents in the possession of the Institute, or any entry in any register duly maintained by the Institute, if certified by the Registrar shall, notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or in any other law for the time being in force, be admitted as evidence of the matters and transactions specified therein, where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.
- 36. Power to remove difficulties. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

- 37. Transitional Provisions. Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes, the first Board of Governors shall be nominated by the Chancellor and shall hold office for a term of three years.
- 38. Statutes and Ordinances to be published in the official Gazette and to be laid before the Legislature. (1) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be published in the official Gazette.
- (2) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following

the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the Statute or the Ordinance or the House agrees that the Statute or the Ordinance, as the case may be, should not be made, the Statute or the Ordinance, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute or Ordinance, as the case may be.

RAKESH SYAL, Jt. Secy.